

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश

क0 9 / नर्सिंग / सेल-3 / 2016 / 719  
प्रति,

भोपाल दिनांक 23/07/2016

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /  
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
जिला - जबलपुर, रतलाम, मंदसौर, धार, उज्जैन, भोपाल  
सिवनी, बडवानी, देवास, इंदौर, नीमच  
मध्यप्रदेश।

विषय :- एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम वर्ष 2016-17 में प्रवेश हेतु अनुमति बावत्।

आपके कार्यालय में कार्यरत निम्नानुसार कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम वर्ष 2016-17 में प्रवेश की अनुमति निम्नानुसार शर्तों के अधीन दी जाती है -:

1	श्रीमति लीलम्मा लोध, सिस्टर ट्यूटर, रानी दुर्गावती कालेज आफ नर्सिंग जबलपुर	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
2	अनीता सी. पीटर, स्टाफ नर्स सिविल अस्पताल रतलाम	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
3	श्रीमति आश्रिता कुरैशी, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय जबलपुर	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
4	श्रीमति लक्ष्मी बिरहा, सिस्टर ट्यूटर, रानी दुर्गावती कालेज आफ नर्सिंग जबलपुर	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।




5	सारा लिम्बा, स्टाफ नर्स सिविल अस्पताल रतलाम	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
6	श्रीमति रीता सेवन्धा, सिस्टर ट्यूटर, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र मंदसौर	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
7	बिन्दु गायकवाड़, स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय धार	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
8	लिन्नी बिजु, स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय रतलाम	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
9	पुष्पा गुर्जर, स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय रतलाम	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
10	सोनी परमार, स्टाफ नर्स, सिविल अस्पताल उज्जैन	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।

X

11	नीतू भालेराव, स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय उज्जैन	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
12	श्रीमति मुक्ति इन्दरवार जेकब, सिस्टर ट्यूटर, रानी दुर्गावती कालेज आफ नर्सिंग जबलपुर	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
13	रमीता गमीत, स्टाफ नर्स जे.पी.अस्पताल भोपाल	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
14	रश्मि कलेत, सिस्टर ट्यूटर जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
15	एकता कैथवास, स्टाफ नर्स, जे.पी. अस्पताल भोपाल	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता होने की स्थिति में अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
16	श्वेता सुर्वे, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय बड़वानी	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता होने की स्थिति में अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।

✍


17	लीमा रोश लकडा, स्टाफ नर्स शासकीय कालेज आफ नर्सिंग उज्जैन	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता होने की स्थिति में अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् शर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
18	श्रीमति तृप्ति टीकादार, स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय देवास	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता होने की स्थिति में अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् शर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
19	प्रिन्सी थामस, स्टाफ नर्स मनोरमा राजे टी.बी. अस्पताल इंदौर	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता होने की स्थिति में अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् शर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
20	अंशुपिक सिंह कुशवाह, स्टाफ नर्स, जे.पी.अस्पताल भोपाल	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता होने की स्थिति में अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् शर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
21	श्रीमति आरती मिश्रा, स्टाफ नर्स, रानी दुर्गावती कालेज आफ नर्सिंग जबलपुर	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता होने की स्थिति में अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् शर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
22	श्रीमति इंदू चौधरी, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय नीमच	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता होने की स्थिति में अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् शर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।



उपरोक्त चयनित नर्सिंग कर्मचारियों को निजी संस्थाओं से एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में ही कार्यमुक्त करना होगा। कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई शर्तों के अनुसार लिखित में सहमति एवं अनुबंध पत्र प्राप्त करने के तदपश्चात् इन्हें कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करें।

अध्ययन अवकाश की पात्रता होने पर निर्धारित प्रारूप में अवकाश आवेदन भरकर भेजें एवं अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने की स्थिति में कर्मचारियों के खातों में शेष अवकाश पात्रता के अनुसार अवकाश आवेदन पत्र प्राप्त कर संचालनालय को प्रेषित करें, एवं शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही करें। स्वीकृत अवकाश अनुसार वेतन आहरण की कार्यवाही की जावें।

जिन कर्मचारियों का आर.एन.आर.एम. रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं किया गया है उनके द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश लिये जाने के पूर्व रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु रजिस्ट्रार कौंसिल में आवेदन प्रस्तुत कर छायाप्रति संचालनालय को उपलब्ध करायें। कर्मचारियों द्वारा एम.एस.सी. नर्सिंग में प्रवेश संबंधित प्रमाण (प्रोविजनल एडमिशन) प्रस्तुत करने के पश्चात् ही इन्हें कार्यमुक्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।

  
डॉ. जे.एल. मिश्रा  
संचालक (नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क्र0 9/नर्सिंग/सेल-3/2016

भोपाल दिनांक /7/2016

प्रतिलिपि – सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन/जबलपुर म.प्र.।
4. प्राचार्य जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र मंदसौर/सिवनी म.प्र.।
5. संबंधित कर्मचारियों की ओर पालनार्थ।
6. प्रभारी श्रम. आर्. श्रम. स्थानीय कार्यालय

1  
संचालक (नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश